


संदर्भ संख्या 2662-64/यूपीसीडा/1A/Board Note Subletting Policy dt 15-2-19

कार्यालय आदेश

उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के संचालक मण्डल की दिनांक 17.01.2019 को सम्पन्न 31वीं बैठक में प्राधिकरण के समस्त औद्योगिक विकास क्षेत्रों में औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं संस्थागत उपयोगों हेतु आरक्षित भूखण्डों में निर्मित भवनों को आवंटी/हस्तान्तरी उद्यमियों द्वारा तृतीय पक्ष को किरायेदारी (सबलेटिंग) पर उपलब्ध कराने की नीति के अन्तर्गत किरायेदारी (सबलेटिंग) की पूर्व निर्धारित दरों को अवक्रमित करते हुए निर्णय लिया गया है कि सम्बन्धित उपयोग हेतु प्रचलित प्रीमियम दर के अनुसार किराये पर दिये जा रहे आच्छादित क्षेत्रफल हेतु किरायेदारी शुल्क सम्बन्धित उपयोग के लिये प्रचलित प्रीमियम दर का 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष लिया जायेगा।


प्राधिकरण के समस्त औद्योगिक विकास क्षेत्रों में संस्थागत उपयोग हेतु आरक्षित भूखण्डों में निर्मित भवनों को आवंटी/हस्तान्तरी द्वारा तृतीय पक्ष को किरायेदारी में उपयोग हेतु अनुमति औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपयोगों हेतु आरक्षित भूखण्डों पर निर्मित भवनों की किरायेदारी से सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त आवंटी एवं किरायेदार संस्था द्वारा प्रश्नगत अनुमन्य गतिविधि से सम्बन्धित नियामक संस्थाओं का अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिससे आवंटी एवं किरायेदारी संस्था अनुमोदित अथवा मान्यता प्राप्त हो, प्रश्नगत किरायेदारी हेतु आवेदन पत्र के साथ ही प्रस्तुत किया जायेगा।

सभी प्रकार के भू-उपयोगों हेतु आवंटित भूखण्डों के किरायेदारी के समस्त प्रकरण क्षेत्रीय प्रबन्धकों-परियोजना अधिकारी द्वारा स्पष्ट प्रस्ताव संस्तुति सहित मुख्यालय सन्दर्भित किये जायें जिन पर सक्षम अधिकारी द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

  
12.02.19  
(राजेश कुमार सिंह)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संख्या /एसआईडीसी/आईए-पॉलिसी वॉल्यूम-17  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-  
1. प्रभारी (ओ0क्ष0 अनुभाग), उ0प्र0रा0ओ0वि0नि0लि0, मुख्यालय, कानपुर।  
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, उ0प्र0रा0ओ0वि0नि0लि0  
3. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, उ0प्र0रा0ओ0वि0नि0लि0, मुख्यालय, कानपुर

दिनांक :

  
12.02.19  
(राजेश कुमार सिंह)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी